

प्रेस विज्ञप्ति

अवैध रूप से, फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पेट्रोल पंप का संचालन

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) भोपाल द्वारा दीप्ति श्रीवास्तव पति श्री अभिलाष श्रीवास्तव निवासी 931 स्नेह नगर जबलपुर की शिकायत पर गंभीर धाराओं पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है जिसमें गौरव इंगोले पिता श्री यशवंतराव इंगोले निवासी 1830/1 राइट टाउन जबलपुर एवं धीरज कराडे निवासी 1830/1 राइट टाउन जबलपुर पर धारा 467/468/471/420/120B के तहत एफआईआर क्रमांक 0067/2026 दिनांक 20/05/2026 को दर्ज की गई है दीप्ति श्रीवास्तव के स्वामित्व एवं कानूनी उत्तराधिकार की संपत्तियों पर दीप्ति श्रीवास्तव की बिना सहमति के फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप रिलायबल ऑटो सर्विस सालीवाडा मंडला रोड एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप यूवन इंजीनियरिंग कंपनी तिलवारा नागपुर रोड जबलपुर का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था

दीप्ति श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके स्वामित्व एवं उनके कानूनी उत्तराधिकार की संपत्ति जो कि उनके दादाजी मारुति राव इंगोले के नाम पर थी ग्राम जोतपुर ग्राम पंचायत घूसौर खसरा क्रमांक 160/163/168/169 एवं संपत्ति 1830/1 राइट टाउन 1562 नलिनी अपार्टमेंट राइट टाउन जबलपुर एवं अन्य पत्रक संपत्तियों का नामांतरण अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गौरव इंगोले द्वारा करवा लिया गया है उपरोक्त पत्रक संपत्तियों के धनराशि से जिन संपत्तियों की खरीद की गई है उन सभी संपत्तियों की विस्तृत जांच EOW द्वारा की जा रही है उपरोक्त संदर्भ में पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है उनकी मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है उपरोक्त संपत्तियों के नामांतरण में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही की पाई गई है जिसकी विस्तृत जांच चल रही है बहुत सारी संपत्तियां फर्जी तरीके से नामांतरित करकर बेच दी गई है उपरोक्त FIR में आगे अन्य लोगों को आरोपी बनाया जाना है

दीप्ति श्रीवास्तव
931 स्नेह नगर नियर लेबर चौक
जबलपुर
M- 9425154422
Mail- sdeeptiingole@gmail.com